अपील सूचना का अधिकार संख्या 75/2021 (GCMS 2021/116) (पोस्टल ऑर्डर नं. 52एफ–509324) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल, जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (राजस्थान) बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19.09.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए। अपीलार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी ने कथन किया कि उसने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 17.06.2021 से लोक सूचना अधिकारी एवं जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 07 बिन्दुओं की सूचना चाही थी किन्तु लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उसे समस्त सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.06.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थीः

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर के पत्रांक 618 दिनांक 21.04.2014 जिसमें लोक सभा चुनाव 2014 में प्रार्थी राधेश्याम के परिवार को मतदाता पर्चियां वितरित न करने के संबंध में सचिव नगरपरिषद श्रीगंगानगर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था व 30.12.2014 तक जांच करने पर प्रार्थी के बयान दर्ज न करने के आधार व नियम की सूचना व पत्रांक दिनांक 21.04.2014 की प्रमाणित प्रति।
2. श्री मलकीयत [illegible] करने पर श्री मलकीयत सिंह के विरूद्ध जो कार्यवाही की गयी है उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. आचार संहिता प्रकोष्ठ लोक सभा चुनाव 2014 श्रीगंगानगर के प्रभारी का पत्रांक 70 दिनांक 18.04.2014 जो बीएलओ श्री सुभाष गोयल द्वारा प्रार्थी के परिवार को मतदाता पर्चियां विरित करने के संबंध में कार्यवाही हेतु लिखा गया था, उस पर की गयी कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की व पत्रांक 70 दिनांक 18.04.2020 की प्रमाणित प्रति। यह पत्रांक सहायक रिटर्निंग अधिकारी, श्रीगंगानगर को लिखा गया है।
4. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर 946 दिनांक 12.06.2014 जो पत्र आयुक्त नगरपरिषद, श्रीगंगानगर को लिखा गया, जिसमें बीएलओ द्वारा मतदाता पर्चियां वितरित न करने के संबंध में कार्यवाही हेतु लिखा गया है उस पर की गयी कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति।
5. नगरपरिषद आयुक्त श्रीगंगानगर द्वारा मलकीयत सिंह सचिव नगरपरिषद श्रीगंगानगर के विरूद्ध प्रार्थी के बयान दर्ज न करने व पूर्व जांच रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर मलकीयत सिंह के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की रिपोर्ट।
6. बीएलओ श्री सुभाष गोयल द्वारा लोकसभा चुनाव 2014 में प्रार्थी के परिवार को मतदाता पर्चियां वितरित न करने पर जाचं अधिकारी द्वारा प्रार्थी के बयान दर्ज न करने पर मलकीयत सिंह सचिव नगरपरिषद पर विभागीय व दाण्डिक कार्यवाही की जाने की सूचना।
7. बीएलओ के विरूद्ध मतदाता पर्चियां लोकसभा चुनाव 2014 में प्रार्थी के परिवार को वितरित न करने पर निर्वाचन नियमों के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:21 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं [illegible] अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई/2021/1753 दिनांक 02.09.2021 से अपीलार्थी को अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर के पत्रांक 618 दिनांक 21.04.2014 जिसमें लोक सभा चुनाव 2014 में प्रार्थी राधेश्याम के परिवार को मतदाता पर्चियां वितरित न करने के संबंध में सचिव नगरपरिषद श्रीगंगानगर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था व 30.12.2014 तक जांच करने पर प्रार्थी के बयान दर्ज न करने के आचार व नियम की सूचना व पत्रांक 618 दिनांक 21.04.2014 की प्रमाणित प्रति।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2( ) कि अनुसार सूचना वही देया है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो व प्रश्नात्मक न हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है न ही स्वंय का मत दे सकते है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) प्राधिकारी के संसाधनो का अनपेक्षित ढंग से विचलन नही होना चाहिए। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। अतः यदि आप
2.	श्री मलकीयत सिंह द्वारा प्रार्थी के बयान दर्ज न करने पर श्री मलकीयत सिंह के विरूद्ध जो कार्यवाही की गयी है उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।	
3.	आचार संहिता प्रकोष्ठ लोक सभा चुनाव 2014 श्रीगंगानगर के प्रभारी का पत्रांक 70 दिनांक 18.04.2014 जो बीएलओ श्री सुभाष गोयल द्वारा प्रार्थी के परिवार को मतदाता पर्चियां विरित करने के संबंध में कार्यवाही हेतु लिखा गया था, उस पर की गयी कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की व पत्रांक 70 दिनांक 18.04. 2020 की प्रमाणित प्रति। यह पत्रांक सहायक रिटर्निंग अधिकारी, श्रीगंगानगर को लिखा गया है।	
4.	निर्वाचक [illegible] (एसडीएम) श्रीगंगानगर [illegible] 12. 06.2014 [illegible] श्रीगंगानगर को लिखा [illegible] जिसमें बीएलओ द्वारा मतदाता पर्चियां वितरित न करने के संबंध में कार्यवाही हेतु लिखा गया है उस पर की गयी कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

5.	नगरपरिषद आयुक्त श्रीगंगानगर द्वारा मलकीयत सिंह सचिव नगरपरिषद श्रीगंगानगर के विरूद्ध प्राथी के बयान दर्ज न करने व पूर्व जांच रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर मलकीयत सिंह के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की रिपोर्ट।	सूचनाओं संबंधि किसी अभिलेख का निरीक्षण करना चाहें तो नियमानुसार कार्य दिवस को कार्यालय समय में उपस्थित होकर निरीक्षण कर सकतें हैं व वांछित प्रतिलिपियां प्राप्त कर सकते है।
6.	बीएलओ श्री सुभाष गोयल द्वारा लोकसभा चुनाव 2014 में प्रार्थी के परिवार को मतदाता पर्चियां वितरित न करने पर जाचं अधिकारी द्वारा प्रार्थी के बयान दर्ज न करने पर मलकीयत सिंह सचिव नगरपरिषद पर विभागीय व दाण्डिक कार्यवाही की जाने की सूचना।	
7.	बीएलओ के विरूद्ध मतदाता पर्चियां लोकसभा चुनाव 2014 में प्रार्थी के परिवार को वितरित न करने पर निर्वाचन नियमों के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।	

-sd-
सहायक लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के बिन्दु संख्या 1 से 7 का जवाब उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा उक्तानुसार दिया जा चुका है वह सही है, जिसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यता प्रतीत नही होती है किन्तु उक्त पत्र से उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को समयावधि मे जवाब दिया जाना प्रतीत नहीं होता है, इसलिए अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है वे अपीलार्थी को उसकी वांछित सूचनाओं से सम्बन्धित रिकॉर्ड को अवलोकन करवा देंवे और अपीलार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

निरीक्षण के उपरान्त किसी अभिलेख की सूचना चाहे तो उसे वांछित सूचनाओं के प्रथम दस पृष्ठ तक की सूचना निःशुल्क एवं शेष सूचना को "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" के प्रावधानानुसार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:21 IST
Reason: SelfAttested